

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

मध्य प्रदेश की रूपरेखा

मध्य प्रदेश कृषि भूमि प्रधान राज्य है तथा देश के खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से भी एक है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अनुसार, 1 नवंबर 2000 को भूतपूर्व मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों¹ से छत्तीसगढ़ के नवीन राज्य का सृजन हुआ। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में निर्दिष्ट किया गया है, विगत दस वर्षों में, मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व में 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय औसत की तुलना में निर्धनता का स्तर उच्चतर है। राज्य में पिछले दशक में निम्नतर आर्थिक विकास दृष्टिगत हुआ क्योंकि सामान्य श्रेणी राज्यों में 14.68 प्रतिशत तक की तुलना में इसकी 2001-02 से 2010-11 तक की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संयुक्त वार्षिक विकास दर 13.51 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान, अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों में 17.56 प्रतिशत के विरुद्ध इसकी जनसंख्या में 20.30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जिनी कोएफिशन्ट² से प्रकट होता है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में आय वितरण की असमानता अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम थी परन्तु नगरीय क्षेत्रों के मामलों में अधिक थी। चालू दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय निम्नतर रही है।

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में 2010-11 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की वित्त-व्यवस्था का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विगत वर्ष से संबंधित मुख्य राजकोषीय संपूर्ण योगों में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास **परिशिष्ट-1.2-भाग-क एवं ख** में चित्रित किया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित मानदण्डों/उच्चतम सीमाओं और चयन संकेतकों की प्रवृत्ति को **परिशिष्ट-1.3 भाग-क, ख एवं ग** में चित्रित किया गया है।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन के साथ-साथ अन्य वित्तीय समायोजनों को अधिनियम³ के

¹ बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगाँव एवं सरगुजा।

² यह आय वितरण की असमानता का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता का तथा एक पूर्ण असमानता का द्योतक है।

³ उपरोक्तानुसार

प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति परिशिष्ट-1.2 भाग-ग में दर्शाई गई है।

1.2 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका-1.1 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। जबकि परिशिष्ट-1.5 भाग-क प्राप्तियों और संवितरणों के ब्यौरे के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

2009-10	प्राप्तियां	2010-11	2009-10	संवितरण	2010-11		
अनुभाग-क राजस्व							
					आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
41,394.70	राजस्व प्राप्तियां	51,854.18	35,896.90	राजस्व व्यय	32,100.87	12,910.72	45,011.59
17,272.81	कर राजस्व	21,419.34	12,013.78	सामान्य सेवाएं	14,533.98	112.70	14,646.68
6,382.04	कर भिन्न राजस्व	5,719.77	12,961.85	सामाजिक सेवाएं	9,488.38	7,857.02	17,345.40
11,076.98	संघ करों/शुल्कों का अंश	15,638.51	8,371.37	आर्थिक सेवाएं	5,689.89	4,394.59	10,084.48
6,662.87	भारत सरकार से अनुदान	9,076.56	2,549.90	सहायतानुदान तथा अंशदान	2,388.62	546.41	2,935.03
अनुभाग-ख पूंजीगत							
21.69	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	366.54	7,924.87	पूंजीगत परिव्यय	142.81	8,657.07	8,799.88
23.37	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	33.65	3,816.88	ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	2,755.41	959.32	3,714.73
2.76	अन्तर्राज्यीय निराकरण	1.64	2.78	अन्तर्राज्यीय निराकरण			1.85
8,602.51	लोक ऋण प्राप्तियां*	7,457.94	2,394.05	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान *			2,529.23
--	आकस्मिक व्यय निधि	--	--	आकस्मिक व्यय निधि			--
52,353.12	लोक लेखा प्राप्तियां	65,675.10	50,871.84	लोक लेखा संवितरण			62,344.26
2,422.10	प्रारम्भिक नकद शेष	3,912.93	3,912.93	अन्तिम नकद शेष			6,900.44
1,04,820.25	योग	1,29,301.98	1,04,820.25	योग			1,29,301.98

* अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देनों को छोड़कर।

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

- राजस्व प्राप्तियों में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि, मुख्य रूप से संघ करों तथा शुल्क के राज्य के अंश (शेयर) में 41 प्रतिशत तक की वृद्धि, भारत सरकार से अनुदान में 36 प्रतिशत तक तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 24 प्रतिशत तक की वृद्धि के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष में 2009-10 में ₹ 5,498 करोड़ से 2010-11 में ₹ 6,842 करोड़ तक की वृद्धि हुई।
- राजस्व व्यय में 25 प्रतिशत (आयोजनेत्तर: 23 प्रतिशत तथा आयोजना: 31 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई एवं पूंजीगत व्यय में 11 प्रतिशत (आयोजनेत्तर में 134 प्रतिशत तक तथा आयोजना में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई) तक की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 2010-11 में 13 प्रतिशत तक की कमी आई और लोक ऋण पुनर्भुगतान में छह प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। लोक

ऋण प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से उधारियों में कमी (आंतरिक ऋण: ₹ 895 करोड़ एवं भारत सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम: ₹ 250 करोड़) के कारण थी।

- विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 में लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 13,322 करोड़ एवं ₹ 11,472 करोड़ तक की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,850 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- उपरि उल्लिखित निधियों के अन्तर्वाह/बहिर्वाह के परिणामस्वरूप राज्य के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के अंत तक ₹ 2,988 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

1.3 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबन्धन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था। 13वें वित्त आयोग का गठन 13 नवंबर 2007 को अनुशंसाएं करने के लिए किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाने एवं राज्य ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के प्रचालन की समीक्षा करने एवं साम्ययुक्त संवृद्धि सहित स्थिर एवं धारणीय राजकोषीय वातावरण संधारित करने के लिए उपाय सुझाने की आवश्यकता थी। 13वें वित्त आयोग ने दिसंबर 2009 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

राज्य के राजकोषीय निष्पादन की तुलना में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन लक्ष्यों एवं मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण जो 2010-11 के वर्ष के लिए निर्मित किए गए थे, नीचे तालिका-1.2 में प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका - 1.2 : राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन एवं मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के अधीन राजकोषीय पूर्वानुमान

राजकोषीय पूर्वानुमान	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन लक्ष्य	मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	2008-09 में समाप्त हो जाने वाला	(+) 1,581	(+) 6,842
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	2008-09 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत से अधिक न हो तक कम करना (₹10,867 करोड़)	(-) 8,003 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत)	(-) 5,272 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.94 प्रतिशत)
कुल राजकोषीय देयताएं (गारंटियों सहित)	31 मार्च 2015 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.78 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.67 प्रतिशत
बकाया गारंटियां	पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न होना	** पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 12.35 प्रतिशत*

* वित्त लेखे में उपलब्ध जानकारी की सीमा तक।

** 2010-11 के लिये बकाया गारंटियों के बजट अनुमान के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(स्रोत: 2010-11 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण पत्रक तथा सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


राज्य सरकार ने निर्धारित अवधि से छह वर्ष आगे तक का राजस्व अधिशेष उपार्जित कर लिया था। उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन लक्ष्यों में निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत की संशोधित सीमा के भीतर था तथा 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के भीतर और मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों के चार प्रतिशत से कम था। 29.67 प्रतिशत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल राजकोषीय देयताएं (गारंटियों सहित) 31 मार्च 2015 तक प्राप्त किये जाने वाले राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन लक्ष्यों के भीतर थी तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में प्रक्षेपित 39 प्रतिशत से भी महत्वपूर्ण रूप से कम थी। वर्ष के दौरान बकाया गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की केवल 12.35 प्रतिशत थी।

वास्तविक कर राजस्व तथा कर भिन्न राजस्व एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय 13वें वित्त आयोग एवं मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण दोनों के निर्धारित स्तरों की तुलना में अधिक था (तालिका-1.6 एवं 1.8)।

1.4 बजट 2010-11

वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट अनुमान

चार्ट-1.1 कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: 2010-11 के राज्य वित्त लेखे और बजट अनुमान)


प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व अधिशेष, राजस्व घाटे एवं प्राथमिक घाटे ने बजट अनुमानों के संदर्भ में सुधार दर्शाया। ब्याज भुगतान पूर्ण रूप से बजट अनुमान की सीमा में थे, जबकि राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं कर भिन्न राजस्व बजट अनुमान से अधिक थे। कर राजस्व, मुख्य रूप से विक्रय, व्यवसाय इत्यादि पर करों (₹ 937 करोड़), स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (₹ 614 करोड़) एवं विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 331 करोड़) के अधीन अधिक प्राप्तियों के कारण बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से वृहद सिंचाई (₹ 329 करोड़) एवं मध्यम सिंचाई (₹ 189 करोड़) के अधीन अधिक व्यय के कारण बजट अनुमान से अधिक हुआ था, जिसे लघु सिंचाई (₹ 228 करोड़) एवं विद्युत परियोजनाओं (₹ 33 करोड़) के अधीन कम व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

1.5 राज्य के संसाधन

1.5.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन⁴


तालिका-1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य के अपने वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि चार्ट-1.2 वर्ष 2006-11 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है।

⁴ राजस्व तथा पूंजी प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से बाजार ऋण तथा उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से उपार्जन सम्मिलित हैं।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

चार्ट-1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की रचना प्रदर्शित करता है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- 2010-11 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 41, छह एवं 53 प्रतिशत समाविष्ट है। 2006-11 के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जिसमें से राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में 102 प्रतिशत तथा 69 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का सापेक्ष अंश 2006-07 से 2010-11 तक 41 प्रतिशत था सिवाय 2008-09 के जो कि 39 प्रतिशत था, कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंश में 2006-07 में 7.4 प्रतिशत से 2010-11 में छह प्रतिशत तक की कमी आई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में 2009-10 में ₹ 8,603 करोड़ (8.40 प्रतिशत) से 2010-11 में ₹ 7,458 करोड़ (5.95 प्रतिशत) तक की कमी आई जिसका कारण 2010-11 में कमतर उधारियाँ थी।

- यद्यपि 2006-11 की अवधि के दौरान लोक लेखे के अधीन प्राप्तियों में, 20.76 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर, वृद्धि हुई, राज्य की कुल प्राप्तियों में उनका अंश अन्तर-वर्ष विभिन्नताओं सहित 2006-07 में 51 प्रतिशत से 2010-11 के दौरान 52 प्रतिशत के मध्य था।

1.5.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के बाहर निधियों का अन्तरण

केन्द्र सरकार ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये, 2009-10 के दौरान ₹ 8,153.52 करोड़ के अन्तरण के विरुद्ध 2010-11 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों⁵ को ₹ 9,002.13 करोड़ अन्तरित किए। 2010-11 के दौरान निधियों के अन्तरणों में 10.41 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

चूंकि इन निधियों को राज्य के बजट/राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से अन्तरित नहीं किया गया था इसलिये वार्षिक वित्त लेखे इन निधियों के प्रवाह को अभिग्रहण नहीं कर पाये तथा उस सीमा तक, राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय के साथ-साथ उनसे प्राप्त अन्य राजकोषीय परिवर्ती/पैरामीटरों को कम करके बताया गया। मुख्य केंद्रीय योजना कार्यक्रमों के विषय में ब्यौरे तालिका-1.3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका-1.3: राज्य में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित निधियां
(राज्य बजट के बाहर से प्रदत्त निधियां)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग	कार्यक्रम/योजना का नाम	2010-11 में भारत सरकार द्वारा विमोचित
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी, भोपाल	2,565.77
2.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल	1,674.49
3.	सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	म.प्र.सर्व शिक्षा अभियान मिशन	1,767.83
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केन्द्र प्रवर्तित (85:15)	राज्य स्वास्थ्य संस्था, भोपाल	528.62
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	एस.डब्ल्यू.एस.एम. मध्य प्रदेश, भोपाल	199.52
		लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल	188.80
6.	ग्रामीण आवास-आई.ए.वाई. (75:25)	डी.आर.डी.ए. (सभी जिले)	254.43
		खरगोन-पी.ओ.एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. म.प्र.	12.72
7.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (75:25)	डी.आर.डी.ए. (सभी जिले)	127.75
		मध्य प्रदेश राज्य रेशम उद्योग विकास एवं व्यापार निगम लिमिटेड	1.58
		मध्य प्रदेश राज्य आजीविका स्थल	1.87
		सुशासन एवं नीति विश्लेषण विद्यालय	2.81
		खरगोन-पी.ओ.एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. म.प्र.	3.21

⁵ राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में ऐसे संगठन/संस्थाएँ/गैर शासकीय संस्थाएँ शामिल हैं जो निर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे राज्य कार्यान्वयन संस्थाओं के लिये सर्व शिक्षा अभियान, राज्य स्वास्थ्य मिशन के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि।

स. क्र.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग	कार्यक्रम/योजना का नाम	2010-11 में भारत सरकार द्वारा विमोचित
8.	एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए. (सभी जिले)	48.52
		एस.एल.एन.ए. म.प्र.	113.25
		खरगोन-पी.ओ.एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. म.प्र.	1.36
9.	केन्द्रीय ग्रामीण सफाई योजना	एस.डब्ल्यू.एस.एम. मध्य प्रदेश, भोपाल	144.03
10.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	म.प्र.माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	196.19
11.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100:0)	राज्य कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान	160.73


(स्रोत : सी.पी.एस.एम. सैल, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश तथा वर्ष 2010-11 के राज्य वित्त लेखे)

₹ 9,002.13 करोड़ में से, ₹ 43.21 करोड़ स्वैच्छिक संगठनों/अशासकीय संगठनों (581 अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों) को दिए गए। इनमें से, 22 अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों ने वर्ष के दौरान ₹ 25 लाख अथवा उससे अधिक की राशि प्राप्त की जिसमें प्रत्येक का योग ₹ 11.63 करोड़ का दर्शाया गया है (परिशिष्ट 1.8)।


संघ से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरण में इस अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में अकिंचन चूक हो जाने का जोखिम होता है। जब तक इन समस्त अभिकरणों द्वारा एक समान लेखाकरण प्रणाली को तत्परतापूर्वक अनुसरण नहीं किया जाता तथा उचित प्रलेखन एवं व्यय की समय पर रिपोर्ट का कार्य नहीं हो जाता, तब तक इन सीधे अंतरणों के समाप्त हो जाने तक के उपयोग का अनुवीक्षण करना कठिन होगा।

1.6 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखों के विवरण पत्रक-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिये गये हैं। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर तथा कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से केन्द्रीय कर अन्तरण एवं सहायता अनुदान समाविष्ट है। 2006-11 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं रचना **परिशिष्ट-1.4** में प्रस्तुत की गयी है और क्रमशः **चार्ट-1.4** एवं **1.5** में भी चित्रित की गयी हैं।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2006-07 में ₹ 25,694 करोड़ से 2010-11 में ₹ 51,854 करोड़ तक 20 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि दर पर सुसंगत वृद्धि हुई। जबकि 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 52 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया था जिसमें कर राजस्व (41 प्रतिशत) एवं कर भिन्न राजस्व (11 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 48 प्रतिशत केन्द्रीय कर अन्तरण एवं सहायता अनुदान दोनों का संयुक्त अंशदान था।
- राज्य के स्वयं के कर एवं कर भिन्न राजस्व के सापेक्ष अंशदान में 2006-08 एवं 2009-11 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति एवं 2007-10 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया, जबकि केन्द्रीय कर अन्तरणों तथा सहायता अनुदानों में 2006-08 एवं 2009-11 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति एवं 2007-10 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई थी।
- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2010-11 के दौरान ₹ 10,459 करोड़ की कुल वृद्धि में से, ₹ 6,975 करोड़ (67 प्रतिशत), केन्द्रीय अन्तरणों का योगदान तथा शेष ₹ 3,484 करोड़ (33 प्रतिशत) राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका-1.4 में नीचे प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व प्राप्तियां	25,694	30,689	33,577	41,395	51,854
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.75	19.44	9.41	23.28	25.27
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.77	19.00	17.08	18.23	19.09
उत्प्लावकता अनुपात⁶					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.51	1.66	0.43	1.50	1.29
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	0.91	1.26	0.61	1.73	1.22

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित जानकारी)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2006-07 में 17.77 प्रतिशत से 2010-11 में 19.09 प्रतिशत तक की सुसंगत वृद्धि हुई थी सिवाय 2008-09 को छोड़कर जब इसमें 17.08 प्रतिशत तक की गिरावट आई जिसने संसाधनों तक राज्य की अभिगम्यता एवं पर्याप्तता को इंगित किया।

राजस्व तथा राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण चालू वर्ष के दौरान राज्य के स्वयं के करों में कम वृद्धि का होना था।

1.6.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण, आयोजनागत योजनाओं इत्यादि के लिए केन्द्रीय सहायता के आधार पर निश्चित किया जाता है, इसलिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के कर एवं कर भिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व को समाविष्ट करते हुए उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान मुख्य करों एवं शुल्कों के सकल संग्रहण के साथ-साथ कर भिन्न प्राप्तियों के अवयवों की तुलना में बजट अनुमानों, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय एवं सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय का प्रतिशत और साथ ही संबंधित अखिल भारतीय औसत परिशिष्ट-1.6 में प्रस्तुत किए गये हैं।

2010-11 के दौरान, सकल संग्रहण, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस एवं अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों के संबंध में बजट अनुमान की अपेक्षा अधिक

⁶ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

था एवं वानिकी और वन्य जीवन के संबंध में लघु शीर्ष-राज्य में इमारती लकड़ी (टिम्बर) का व्यापार के अंतर्गत बजट अनुमान की अपेक्षा कम था।

कर राजस्व

- 2010-11 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में विक्रय, व्यापार इत्यादि पर करों की प्रमुख हिस्सेदारी (48 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य आबकारी (17 प्रतिशत), मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (12 प्रतिशत), माल एवं यात्रियों पर कर (आठ प्रतिशत) तथा वाहनों पर कर (छह प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान विक्रय, व्यापार इत्यादि पर करों में 33 प्रतिशत, राज्य आबकारी में 22 प्रतिशत, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में 41 प्रतिशत, वाहनों पर कर में 30 प्रतिशत एवं भू-राजस्व पर 101 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विद्युत पर कर एवं शुल्क में 31 प्रतिशत की कमी हुई।
- विक्रय, व्यापार इत्यादि पर करों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 2,533 करोड़) का कारण राज्य विक्रय कर अधिनियम - समस्त क्रय-विक्रय पर कर (टर्नओवर टैक्स) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का होना था। राज्य आबकारी प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से देशी स्पिरिट के विक्रय की प्राप्तियों के अंतर्गत वृद्धि (₹ 797 करोड़) के कारण हुई। मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के अंतर्गत वृद्धि मुख्य रूप से पंजीयन दस्तावेजों के लिए शुल्क की प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 1,060 करोड़) के कारण थी। वाहनों पर करों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि, राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम-आजीवन कर एवं सवारी वाहनों पर कर के अंतर्गत ₹ 324 करोड़ की प्राप्तियों में हुई वृद्धि के कारण थी। भू-राजस्व के अंतर्गत वृद्धि मुख्य रूप से भू-राजस्व कर की प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 165 करोड़) के कारण थी। माल एवं सवारियों पर करों के अंतर्गत ₹ 413 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर के अंतर्गत प्राप्तियों (₹ 265 करोड़) में वृद्धि के कारण थी। विद्युत पर कर एवं शुल्क के अंतर्गत कमी (₹ 670 करोड़) विद्युत के उपभोग एवं विक्रय पर करों के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी (₹ 538 करोड़) के कारण थी।

निम्न तालिका-1.5, 2006-11 के दौरान राज्य के कर राजस्व के संघटन की प्रवृत्तियों को दर्शाती है :

तालिका संख्या 1.5 : कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	5,261	6,045	6,843	7,724	10,257
राज्य आबकारी	1,547	1,854	2,302	2,952	3,603
स्टाम्प तथा पंजीयन फीस	1,251	1,532	1,479	1,783	2,514
वाहनों पर कर	634	703	773	919	1,198
भू-राजस्व	132	129	339	180	361

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
माल तथा यात्रियों पर कर	745	916	1,333	1,333	1,746
अन्य कर	903	839	545	2,382	1,740*
योग	10,473	12,018	13,614	17,273	21,419

* अन्य करों में विद्युत पर कर तथा शुल्क (₹ 1,476 करोड़), आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 218 करोड़), वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 30 करोड़) तथा होटल प्राप्तियों पर कर (₹ 16 करोड़) सम्मिलित है।
(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कर भिन्न राजस्व

- कर भिन्न राजस्व में, 2009-10 में ₹ 6,382 करोड़ से 2010-11 में ₹ 5,720 करोड़ तक ₹ 662 करोड़ की कमी आई, जिसके मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्तियों (₹ 985 करोड़), विद्युत (₹ 685 करोड़) एवं विविध सामान्य सेवाएं (₹ 256 करोड़) के अंतर्गत कमी थी, जो कि अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 531 करोड़) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 449 करोड़) के वृद्धि के द्वारा आंशिक रूप में प्रतिसंतुलित थी।
- 2010-11 के दौरान कर भिन्न राजस्व में मुख्य रूप से योगदान करने वालों में थे, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (37 प्रतिशत), विद्युत (सात प्रतिशत), वानिकी एवं वन्यजीवन (15 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (21 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ (छह प्रतिशत) तथा विविध सामान्य सेवाएं (सात प्रतिशत)।
- यह पाया गया कि 2001-10 के दौरान, संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर मध्य प्रदेश के मामले में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी (परिशिष्ट-1.1)।

राज्य के कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 2010-11 के दौरान 13वें वित्त आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारणों को नीचे तालिका-1.6 में दिया गया है।

तालिका-1.6: कर एवं कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	13वें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण	मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में राज्य सरकार द्वारा प्रक्षेपण	वास्तविक
कर राजस्व	17,757	18,670	21,419
कर भिन्न राजस्व	4,672	4,322	5,720

(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे एवं 2010-11 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधान सभा में प्रस्तुत विवरण पत्रक तथा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं 2010-15)

कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक वसूली 13वें वित्त आयोग (20.62 एवं 22.43 प्रतिशत) तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक प्रक्षेपण (14.72 एवं 32.35 प्रतिशत) द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में उच्चतर थी। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के संदर्भ में कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि, खनन एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति विभागों की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

प्रचालन और संधारण व्ययों की वसूली लागत

प्रचालन और संधारण व्ययों (कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रचालन और संधारण से अनुपात) की वसूली लागत के वर्तमान स्तर, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए 2.27; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 0.65; जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास के लिये 0.06; कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिये 94.90; परिवहन के लिये 0.02; सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लिये 7.22 तथा विद्युत के लिये 36.38 थे। इससे यह प्रकट हुआ कि इन क्षेत्रों में कर भिन्न राजस्व की तुलना में जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास तथा परिवहन क्षेत्रों पर प्रचालन और संधारण व्यय अधिक था। कर भिन्न राजस्व में प्रमुख संघटकों के विषय में किये गये प्रचालन और संधारण प्रभारों की लागत **परिशिष्ट-1.7** में दी गयी है। राज्य सरकार को कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करना चाहिये और जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास तथा परिवहन क्षेत्रों में प्रचालन और संधारण व्ययों को कम करना चाहिये।

1.6.2 करापवंचन, अपलेखन/अधित्याग के कारण राजस्व की हानि

वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, वन एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 398 इकाईयों के अभिलेखों की वर्ष 2010-11 के दौरान संचालित नमूना जांच से 4,36,826 प्रकरणों में कुल ₹ 1,879.11 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम उगाही/राजस्व की हानि प्रकट हुई। वर्ष के दौरान, 4,15,652 प्रकरणों में जो कि लेखापरीक्षा में 2010-11 के दौरान इंगित किए गए थे, विभागों ने ₹ 993.70 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने 2010-11 के दौरान 31,204 प्रकरणों में ₹ 70.50 करोड़ संग्रह किए।

विक्रय कर, राज्य आबकारी और मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क विभागों द्वारा यथासूचित किए गए अनुसार मार्च 2011 के अंत तक करापवंचन के 9020 प्रकरण (₹ 281.67 करोड़) और 2423 वापसी प्रकरण (₹ 14.12 करोड़) लंबित थे।

2010-11 के वर्ष के अंत तक अन्य विभागों से संबंधित करापवंचन की स्थिति और लंबित वापसी प्रकरणों की संख्या सरकार द्वारा सूचित नहीं की गयी थी (सितंबर 2011)।

1.6.3 राजस्व बकाया

2010-11 के दौरान राजस्व के बकायाओं का विभागवार स्थिति **तालिका-1.7** में दी गई है।

तालिका-1.7 : 2010-11 के दौरान राजस्व के बकायाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	राजस्व का बकाया	पाँच वर्षों से अधिक से राजस्व का बकाया
1.	राज्य आबकारी	66.03	56.96
2.	विद्युत	70.67	15.12
3.	खनन	12.38	12.38
4.	सहकारिता	127.30	119.33
5.	मनोरंजन कर	0.80	0.58
6.	वाणिज्यिक कर	529.80	450.00
7.	मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क	69.88	31.01
	योग	876.86	685.38

(स्रोत : महालेखाकार (निर्माण तथा प्राप्ति लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

31 मार्च 2011 को सात विभागों से संबंधित ₹ 877 करोड़ की राशि राजस्व के बकाया के रूप में थी, जिसमें से ₹ 685 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। इसमें वाहनों पर कर से संबंधित राजस्व के बकाया को छोड़ दिया गया था क्योंकि तत्संबंधित विभाग द्वारा उसकी जानकारी प्रेषित नहीं की गयी थी (सितंबर 2011)। जिन स्तरों पर बकाया कर संग्रह लंबित था उसकी जानकारी भी विभागों द्वारा प्रेषित नहीं की गयी थी (सितंबर 2011)।


1.7 संसाधनों का अनुप्रयोग

व्यय के आवंटन के विश्लेषण का राज्य सरकार के स्तर पर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रमुख व्यय उत्तरदायित्व उसको सौंपे गये है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है। इसलिये यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चलने वाले राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया व्यय की कीमत पर नहीं है, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर निर्देशित व्यय/राजकोषीय संकेतकों (समयबद्ध आंकड़े) की प्रवृत्तियाँ **परिशिष्ट-1.4** में दी गई हैं।

1.7.1 व्यय की वृद्धि तथा रचना

चार्ट-1.6 पाँच वर्षों की अवधि (2006-11) में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

चार्ट-1.7 एवं 1.8 में क्रमशः इसके संघटन का चित्रण 'आर्थिक वर्गीकरण' और 'क्रियाकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भों में किया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2006-11 के दौरान, राज्य के कुल व्यय में 20.39 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से ₹ 28,487 करोड़ से ₹ 57,529 करोड़ की वृद्धि हुई। 2006-11 अवधि के दौरान, पूँजीगत और राजस्व व्यय संघटकों में क्रमशः ₹ 3,630 करोड़ (70 प्रतिशत) और ₹ 22,649 करोड़ तक (101 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इन प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि पूँजीगत और राजस्व व्यय में वृद्धि पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 1:6 के अनुपात में थी।

कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात में 2006-07 में 79 प्रतिशत से 2010-11 में 78 प्रतिशत तक की कमी अन्तरा वर्षीय उतार-चढ़ाव सहित आई तथा राज्य सरकार के कुल व्यय के प्रमुख भाग में अंशदान जारी रखा। कुल व्यय की तुलना में पूँजीगत व्यय में 2006-07 में 18 प्रतिशत से 2010-11 में अन्तरा वर्षीय उतार चढ़ाव सहित 15 प्रतिशत तक तदनुरूपी कमी आई। आयोजना और आयोजनेत्तर के संदर्भ में


विगत वर्ष से आयोजना व्यय में ₹ 4,778 करोड़ तक की और आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 5,109 करोड़ तक की वृद्धि पंजीबद्ध की गई।

2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान कुल व्यय में ₹ 9,887 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि (21 प्रतिशत) मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹ 9,115 करोड़ (25 प्रतिशत) और पूँजीगत व्यय में ₹ 875 करोड़ की वृद्धि के कारण थी, जिसे अंतर-राज्य परिशोधन सहित ऋण और अग्रिमों के संवितरण में ₹ 103 करोड़ की कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से मुख्य सिचाई (₹ 629 करोड़), मध्यम सिचाई (₹ 273 करोड़), लघु सिचाई (₹ 291 करोड़) और जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास (₹ 80 करोड़) पर पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि के कारण थी, जिसे ऊर्जा (₹ 1,567 करोड़) की कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।


2006-11 के दौरान राजकोषिय देयताओं/राजस्व प्राप्तियाँ अनुपात की घटती हुई प्रवृत्ति से कुल व्यय के वित्तपोषण से राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ता हुआ विश्वास और उधार ली गई निधियों पर घटती हुई निर्भरता प्रकट हुई।

2010-11 में, कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 90 प्रतिशत पर टिकी रहीं जिसका तात्पर्य था कि कुल व्यय का 90 प्रतिशत व्यय राजस्व प्राप्तियों से किया जा सकता था।

2006-11 की अवधि के दौरान, कुल व्यय की वृद्धि दर 2009-10 में उच्चतम (25 प्रतिशत) थी और 2006-07 में न्यूनतम (दो प्रतिशत) थी। कुल व्यय की वृद्धि दर जो कि 2009-10 में 25 प्रतिशत थी 2010-11 में 21 प्रतिशत तक घट गई।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2006-08 और 2008-10 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश में घटती हुई प्रवृत्ति और 2008-09 और 2010-11 में बढ़ी हुई प्रवृत्ति प्रकट हुई। 2006-10 के दौरान ऋण और अग्रिमों के अंश में बढ़ती हुई, परन्तु 2010-11 में घटती हुई प्रवृत्ति प्रकट हुई जबकि पूँजीगत व्यय ने 2006-11 के दौरान अंतरवर्षीय विभिन्नताओं सहित घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। यह पाया गया कि अवधि के दौरान कुल पूँजीगत व्यय का बड़ा भाग आयोजना पूँजीगत व्यय थी। 2010-11 की अवधि के दौरान कुल पूँजीगत व्यय का 98.38 प्रतिशत आयोजना पूँजीगत व्यय (₹ 8,657 करोड़) था जिसमें 2009-10 में ₹ 7,864 करोड़ के स्तर से ₹ 793 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

अविकासीय व्यय समझी जाने वाली सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतानों सहित) के अंश में 2006-10 की अवधि में 30.45 प्रतिशत से 25.77 प्रतिशत तक की न्यूनतम गिरावट, 2010-11 में न्यूनतम वृद्धि सहित, आई, जबकि 2006-11 की अवधि के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के अंश में 3.69 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं के अंश में 2006-07 के दौरान 32.5 प्रतिशत से 2010-11 में 29.85 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी, व्यापक अंतरा-वर्षीय उतास-चढ़ावों सहित आई। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं दोनों को समाविष्ट करते हुये विकास व्यय में 2009-10 में 61.16 प्रतिशत से 2010-11 में 62.67 प्रतिशत तक की कमी आई। सहायता अनुदानों और ऋण तथा अग्रिमों के अंश में 2006-10 अवधि के दौरान बढ़ती हुई, परन्तु 2010-11 के दौरान घटी हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

राज्य के समग्र राजस्व व्यय में 2006-07 में ₹ 22,363 करोड़ से 2010-11 में ₹ 45,012 करोड़ तक की वृद्धि हुई, जो इस अवधि में 101 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करती है। 2010-11 के दौरान ₹ 9,115 करोड़ (25.39 प्रतिशत) के राजस्व

व्यय की कुल वृद्धि में से आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की राशि ₹ 6,042 करोड़ (23 प्रतिशत) थी जबकि ₹ 3,073 करोड़ (31 प्रतिशत) आयोजना राजस्व शीर्षों के अंतर्गत व्यय किये गये थे। चालू वर्ष के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से, सामान्य शिक्षा (₹ 1,099 करोड़), पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ (₹ 689 करोड़), स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन (₹ 188 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 156 करोड़), पुलिस (₹ 353 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 595 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 315 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 386 करोड़) एवं वानिकी और वन्य-जीवन (₹ 148 करोड़) पर व्यय के कारण हुई। 13वें वित्त आयोग और राज्य सरकार किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को नीचे **तालिका - 1.8** में दिया गया है।

तालिका संख्या - 1.8 : राजस्व व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	13वें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण	मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण-पत्रक में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
	(1)	(2)	(3)
2010-11	25,074	29,213	32,101

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण-पत्रक)

2010-11 के दौरान ₹ 32,101 करोड़ का वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, 13वें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारित स्तर से (28.02 प्रतिशत) और राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में किए गए प्रक्षेपण से (9.89 प्रतिशत) अधिक था। 13वें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण के विरुद्ध वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं ब्याज भुगतानों को छोड़कर (₹ 336 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 7,643 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं (₹ 4,048 करोड़) के अंतर्गत थी, जिसे ब्याज भुगतानों (₹ 308 करोड़) के अंतर्गत कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

आयोजना राजस्व व्यय, जिसमें 2006-11 की अवधि के दौरान सुसंगत रूप से वृद्धि हुई थी, चालू वर्ष के दौरान 31.23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। 2010-11 में आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से, सामान्य शिक्षा (₹ 879 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 88 करोड़), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹ 242 करोड़), फसल अर्थव्यवस्था (₹ 329 करोड़), अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (₹ 252 करोड़) के अंतर्गत हुई, जिसे अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 254 करोड़) के अंतर्गत व्यय में कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया था।

1.7.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेन्शन एवं राज सहायताएं सम्मिलित हैं। **तालिका-1.9** एवं **चार्ट-1.9** 2006-11 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती हैं।

तालिका - 1.9: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी	6,337 (24.66)	6,984 (22.76)	8,547 (25.45)	10,678 (25.80)	12,517 (28.81)	13,100 (25.26)
आयोजनेत्तर शीर्ष	5,639	6,221	7,660	9,406	12,517	11,490
आयोजना शीर्ष**	698	763	887	1,272	--	1,610
ब्याज भुगतान	4,029 (15.68)	4,191 (13.66)	4,192 (12.48)	4,454 (10.76)	5,052 (11.63)	5,049 (9.74)
पेन्शन पर व्यय	1,752 (7)	1,964 (6)	2,433 (7)	3,077 (7)	3,305 (7.61)	3,767 (7.26)
राज सहायता	NA	141 [@] (0.46)	132 [@] (0.39)	2,033 [@] (4.91)	15,145 (34.86)	1,810 (3.49)
योग	12,118 (47)	13,280 (43)	15,304 (46)	20,242 (49)	36,019 (83)	23,726 (46)

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।

** आयोजना शीर्ष में भी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित हैं।

@ उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है।

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

2006-11 के दौरान समग्र प्रतिबद्ध व्यय में 96 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2010-11 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत सम्मिलित था। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 2006-08 और 2009-11 के दौरान कमी की प्रवृत्ति और 2007-10 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। 2010-11 के दौरान, इसमें राजस्व

प्राप्तियों का 46 प्रतिशत समाविष्ट था और वह विगत वर्ष तथा बजट प्रक्षेपणों से कम था। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार है:

वेतन एवं मजदूरी

वेतन और मजदूरी पर व्यय में 2006-07 में ₹ 6,337 करोड़ से 2010-11 में ₹ 13,100 करोड़ (106 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी पर व्यय में 2006-08 और 2009-11 के दौरान कमी की प्रवृत्ति और 2007-10 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत वेतन और मजदूरी पर व्यय में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-11 में ₹ 13,100 करोड़ के वेतन और भत्तों पर वास्तविक व्यय मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण-पत्रक में प्रक्षेपित (₹ 12,517 करोड़) की तुलना में अधिक था। राजस्व व्यय से संबंधित वेतन बिल, ब्याज भुगतानों और पेंशन को छोड़ कर 36 प्रतिशत था जो कि 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 35 प्रतिशत के मानदण्ड के विरुद्ध था।

पेंशन भुगतान

2009-10 के दौरान पेंशन भुगतानों में ₹ 3,077 करोड़ से 2010-11 के दौरान ₹ 3,767 करोड़ तक की 22 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण अधिवार्षिकी और सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 281 करोड़), परिवार पेंशन (₹ 45 करोड़), अवकाश नगदीकरण (₹ 76 करोड़) और उपदान (₹ 253 करोड़) थे। ₹ 3,767 करोड़ के वास्तविक पेंशन भुगतान 2010-11 में मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण-पत्रक में यथा प्रक्षेपित ₹ 3,305 करोड़ से (13.98 प्रतिशत) अधिक थे और 13वें वित्त आयोग द्वारा यथा प्रक्षेपित ₹ 2,933 करोड़ से (28.44 प्रतिशत) अधिक थे।

ब्याज भुगतान

- 2010-11 के दौरान ₹ 5,049 करोड़ के ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 9.74 प्रतिशत लेखांकित किए गए और 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय के 11.22 प्रतिशत थे। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति (₹ 1,426 करोड़), बाजार ऋण (₹ 1,804 करोड़), केन्द्र सरकार से उधार लिये गये ऋण (₹ 690 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 591 करोड़) और अन्य आन्तरिक ऋण (₹ 332 करोड़) पर थे।
- विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान ब्याज भुगतान में ₹ 595 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋणों (₹ 316 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 42 करोड़), अन्य दायित्व (₹ 199 करोड़) और केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (₹ 45 करोड़) में वृद्धि के परिणामस्वरूप थी जिसे केंद्र सरकार से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयोजना योजना (₹ 396 करोड़) के अंतर्गत उधारियों में कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

- वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹ 5,049 करोड़ के ब्याज भुगतान ₹ 5,052 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में कम थे परन्तु 2010-11 के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित (₹ 3,949 करोड़) की तुलना में अधिक थे।

राज सहायताएं

₹ 1,810 करोड़ (आयोजनेत्तर : ₹ 1,581 करोड़ और आयोजना : ₹ 229 करोड़) की राज सहायता के भुगतान को राजस्व प्राप्तियों का 3.49 प्रतिशत लेखांकन किया गया और यह 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय का 4.02 प्रतिशत था। आयोजनेत्तर और आयोजना राजस्व व्यय में राज सहायताओं के ब्यौरे नीचे तालिका - 1.10 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका-1.10: 2009-10 और 2010-11 के दौरान राज सहायताओं के भुगतानों का विवरण
(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विभाग	लेखाशीर्ष तथा विवरण	2009-10			2010-11		
			आयोजनेत्तर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं और केन्द्रीय योजनाओं सहित)	योग	आयोजनेत्तर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं और केन्द्रीय योजनाओं सहित)	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	समाज कल्याण	2235-सामाजिक सुखा एवं कल्याण	--	--	--	--	0.70	0.70
2	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-कृषि कर्म	--	91.19	91.19	3.00	128.21	131.21
3	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	2401-कृषि कर्म	--	36.90	36.90	--	41.71	41.71
4	अनुसूचित जाति उपयोगना	2401-कृषि कर्म	--	25.63	25.63	--	31.09	31.09
5	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2401-कृषि कर्म	--	13.80	13.80	--	12.26	12.26
6	खाद्य	2408-खाद्य मंडारण तथा मंडागार	58.85	--	58.85	49.05	--	49.05
7	सहकारिता	2425-सहकारिता	--	--	--	2.56	--	2.56
8	जिला आयोजना योजनाओं से संबंधित व्यय	2515-अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं	--	--	--	6.85	--	6.85
9	ऊर्जा	2801-बिजली	1,734.52	72.00	1,806.52	1,519.86	15.00	1,534.86
	योग		1,793.37	239.52	2,032.89	1,581.32	228.97	1,810.29⁷

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे 2010-11)

₹ 1,810 करोड़ की राज सहायताओं में से, ₹ 1,535 करोड़ (85 प्रतिशत) मुख्य रूप से केवल ऊर्जा विभाग के लिए थे। विगत वर्ष की तुलना में, 2010-11 के दौरान राज सहायता की राशि में कमी मुख्य रूप से ऊर्जा विभाग को राज सहायता (₹ 272 करोड़) में कमी के कारण थी।

⁷ जिस सीमा तक जानकारी वित्त लेखे में उपलब्ध है। इसमें इम्प्लीसिट राज सहायता शामिल नहीं है क्योंकि इनके विवरण उपलब्ध नहीं थे।

1.7.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्यो को अनुदानों और ऋणों के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सहायता की मात्रा तालिका - 1.11 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका - 1.11 : स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
शैक्षणिक संस्थाएं (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय)	235.09	166.76	161.99	118.85	233.23	221.19
नगर निगम तथा नगर पालिकाएं	1,499.61	1,872.65	1,880.40	2,654.32	3,709.83	3,153.82
जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएं	736.45	885.87	756.21	926.64	1,760.55	1,760.12
विकास अभिकरण	5.91	6.81	13.00	6.17	8.61	6.78
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	6.49	7.29	7.29	25.18	9.62	9.62
अन्य संस्थाएं	470.46	603.38	965.00	775.27	1,065.60	1,049.80 ⁸
योग	2,954.01	3,542.76	3,783.89	4,506.43	6,787.44	6,201.33
राजस्व व्यय के प्रतिशत के अनुसार वित्तीय सहायता	13.20	13.84	12.82	12.55	16.21	13.78

(स्रोत: विभिन्न विभागों से संग्रहीत जानकारी)

स्थानीय निकायों और संस्थाओं के वित्तीय सहायता में 2009-10 में ₹ 4,506.43 करोड़ से 2010-11 में ₹ 6,201.33 करोड़ तक ₹ 1,694.90 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्य रूप से नगर निगमों (₹ 499.50 करोड़), जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं (₹ 833.48 करोड़) एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 102.34 करोड़) के अधीन हुई जिसे अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं के अंतर्गत ₹ 15.56 करोड़ की कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया था।

नगर निगमों के अंतर्गत ₹ 499.50 करोड़ की वृद्धि, जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ₹ 833.48 करोड़ एवं शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत ₹ 102.34 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाओं यथा पीने के पानी, सड़क मरम्मत और शहरी क्षेत्रों तथा गन्दी बस्तियों के एकीकृत विकास में वृद्धि के कारण हुई।

⁸ मुख्य रूप से समाविष्ट है खाद्य, सिविल आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण (₹ 679.49 करोड़), सहकारिता एवं सहकारी समितियाँ (₹ 189.53 करोड़), कृषक कल्याण एवं कृषि विकास (₹ 63.91 करोड़), हथकरघा (₹ 38.17 करोड़), टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग (₹ 18.71 करोड़), संस्कृति (₹ 16.70 करोड़), म.प्र. विज्ञान तथा प्राद्योगिकी (₹ 16.10 करोड़), खेल एवं युवा कल्याण (₹ 2.40 करोड़), पर्यावरण योजना एवं समन्वय संगठन (₹ 4.62 करोड़), अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यक कल्याण (₹ 2.56 करोड़), महिला एवं बाल विकास (₹ 2.65 करोड़) एवं अन्य (₹ 14.96 करोड़)।

₹ 6,787.44 करोड़ के बजट अनुमानों के विरुद्ध, वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं को सहायता के रूप में ₹ 6,201.33 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई थी। 2010-11 में बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में कमी मुख्य रूप से नगर निगमों और नगर पालिकाओं, शैक्षणिक संस्थाओं (सहायता प्राप्त स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों) एवं अन्य संस्थाओं में वित्त विभाग द्वारा 10 प्रतिशत की आर्थिक कटौती के कारण थी।

राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता वृद्धि 12.55 प्रतिशत (2009-10) में 13.78 प्रतिशत तक हुई, जो कि 2010-11 के दौरान 16.21 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में कम थी।

1.7.4 स्थानीय निकायों इत्यादि को 13वें वित्त आयोग अनुदानों की निकासी एवं उपयोग

स्थानीय निकाय

13वें वित्त आयोग ने 2010-15 में प्राप्त अनुदान अवधि के लिए सामान्य क्षेत्रों एवं विशेष क्षेत्र दोनों के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान की अनुशंसा की थी। इन अनुदानों के अतिरिक्त, उन राज्यों को 2011-12 से दोनों क्षेत्रों को निष्पादन अनुदान उपलब्ध कराया जाना था जो उन अनुदानों की निकासी के लिए अधिरोपित शर्तों को पूरा करेंगे। भारत सरकार की मार्गदर्शिका (सितम्बर 2010) के अनुसार, समस्त स्थानीय निकायों को अनुदानों की निकासी प्रत्येक राजकोषीय वर्ष में जुलाई एवं जनवरी दो चरणों में की जानी थी। स्थानीय निकाय अनुदानों की पहली किस्त भारत सरकार से इसकी प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि के भीतर, स्थानीय निकायों को अंतरित की जानी थी। इसी प्रकार अनुदान की दूसरी किस्त का अंतरण भी स्थानीय निकायों को पाँच दिन और 10 दिन में आधारीक संरचना की सुगमता के अनुसार किया जाना था। विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात्, स्थानीय निकायों को अनुदान के अंतरण में विलम्ब के लिए, किस्त सहित भारतीय रिजर्व बैंक दर के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए राज्य की जिम्मेदारी थी।

अनुदानों के अंतरण में विलम्ब

नमूना जाँच किए गए कार्यालयों⁹ के अभिलेखों से प्रकट हुआ (अगस्त 2011) कि सामान्य प्राथमिक अनुदान की पहली किस्त (₹ 191.55 करोड़) के साथ ही विशिष्ट क्षेत्र प्राथमिक अनुदान के ₹ 11.28 करोड़ ग्राम पंचायतों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को 45 से 239 दिनों के विलम्ब से अंतरित किए गए थे। आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, ने सामान्य प्राथमिक अनुदान एवं विशेष क्षेत्र प्राथमिक अनुदान की प्रथम किस्त का अंतरण नगर स्थानीय निकायों को 27 दिनों

⁹ वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, आयुक्त पंचायती राज, आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फंड, बेरसिया (भोपाल)

के विलम्ब से किया। विशेष क्षेत्र प्राथमिक अनुदान की दूसरी किस्त का नगर स्थानीय निकायों को अंतरण भी 16 दिनों के विलम्ब से हुआ था। निधियों के अंतरण में विलम्ब के अतिरिक्त, वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक की दर पर ₹ 3.30 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अगस्त 2011), वित्त विभाग ने इस प्रकार के विलम्ब के लिए कोई कारण नहीं बताया। आयुक्त, पंचायती राज एवं आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग से भी उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2011)।

अनुदान का व्यपगत होना

आयुक्त, पंचायती राज एवं आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय के अभिलेखों से प्रकट हुआ (अगस्त 2011) कि वित्त मंत्रालय ने 2010-11 के वर्ष के लिए विशेष क्षेत्र प्राथमिक अनुदान के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगर स्थानीय निकायों के ₹ 26.50 करोड़ दो समान किस्तों में जारी किए। इसमें से ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों को अंतरित किए जाने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 21.88 करोड़ (आयुक्त, पंचायती राज द्वारा ₹ 19.91 करोड़ एवं आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ₹ 1.97 करोड़) कोषालय से आहरित किए गए थे। शेष राशि (₹ 4.62 करोड़) व्यपगत हो गई।

अनुदान का अनियमित आहरण

मध्य प्रदेश वित्त संहिता खंड-1 के नियम 70 में उपबंधित है कि किसी नए प्रभार के लिए संस्वीकृति जिसका पालन एक वर्ष से नहीं किया गया है, उसे व्यपगत होना मान लिया जाय, जब तक कि विशिष्ट रूप से उसका नवीकरण न हो जाए।

आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय के अभिलेखों से प्रकट हुआ (अगस्त 2011) कि वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 13.25 करोड़ की दूसरी किस्त विशेष क्षेत्र प्राथमिक अनुदान के रूप में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को जारी की (मार्च 2011)। इसमें से ₹ 1.97 करोड़ आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग को आवंटित किए थे जिन्होंने इसे वित्त वर्ष (2010-11) में आहरण करने के स्थान पर अगले वित्त वर्ष (अप्रैल 2011) में ₹ 1.57 करोड़ का आहरण किया। यह वित्तीय नियमों के साथ-साथ बजटीय नियंत्रण प्रणाली का भी उल्लंघन था। सरकार ने ऐसी वित्तीय अनियमितता के लिए कोई कारण नहीं बताया।

भारत सरकार को उपयोग प्रमाण पत्र का प्रस्तुत न किया जाना

नमूना जाँच को गयी इकाइयों के अभिलेखों से प्रकट हुआ (अगस्त 2011) कि वर्ष 2010-11 के लिए ग्राम पंचायतों और नगर स्थानीय निकायों को अन्तरित अनुदानों ₹ 542.34 करोड़ (₹ 402.95 करोड़ आयुक्त, पंचायती राज द्वारा तथा ₹ 139.39 करोड़ आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा) के वास्तविक उपयोग की रिपोर्ट

आयुक्त, पंचायती राज और आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से भारत सरकार को नहीं भेजी गयी थी। यह भी ध्यान में आया कि नमूना जाँच की गई इकाईयों में से किसी ने भी वित्त वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त किए गए 13वें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की रिपोर्ट नहीं दी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अगस्त 2011), आयुक्त, नगर प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल ने उत्तर दिया कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा व्यय किए गए अनुदान के क्रियाकलाप अनुसार ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं। वित्त विभाग एवं आयुक्त, पंचायती राज से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2011)।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

13वें वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की अनुशंसाओं के अनुसरण में, भारत सरकार ने ₹ 24.97 करोड़, सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2010-11 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को विशिष्ट पहचान पत्र के लिए नाम दर्ज कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत किए गए थे। आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ (जुलाई 2011) कि ₹ 24.97 करोड़ की राशि की निकासी की गयी थी और उसे आयुक्त के वैयक्तिक जमा खाते में जमा कर दिया गया था, परन्तु 2010-11 में कोई व्यय नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि कार्य प्रगत्याधीन है। भारत सरकार द्वारा अनुदानों की निकासी के लिए जारी की गई मार्गदर्शिका के अनुसार, जारी किए गए अनुदानों का उपयोग वर्ष विशेष में ही कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार ₹ 24.97 करोड़ अप्रयुक्त रहे। मामले की सूचना सरकार को दी गयी थी (सितम्बर 2011), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2011)।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के लिए तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं, यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान); व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय-परिणाम संबंधों का निर्धारण)।

1.8.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गये, सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व वृहद रूप से राज्य के विषय हैं। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि के लिये अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई होती है, यदि वह संबंधित

राष्ट्रीय औसत से नीचे होती है। तालिका-1.12 में वर्ष 2010-11 के दौरान (13वें वित्त आयोग के द्वारा प्रदत्त अवधि का प्रथम वर्ष) विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका-1.12 : 2007-08 एवं 2010-11 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय [#] /कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय /कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2007-08	16.85	64.28	32.54	16.14	14.64	3.98
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2007-08	20.80	66.51	28.65	20.34	11.66	3.72
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2010-11	16.65	64.42	36.75	13.27	17.42	4.35
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2010-11	21.17	69.08	33.15	15.30	14.88	3.74
* सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत # विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित है। स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये जानकारी, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय से संग्रहीत की गई थी।						

तुलनात्मक विश्लेषण से प्रकट हुआ कि:

- मध्य प्रदेश ने 2007-08 और 2010-11 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का सीमान्त रूप से उच्चतर समानुपात का व्यय किया।
- मध्य प्रदेश में कुल व्यय के समानुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ है। विकास व्यय में आर्थिक सेवा व्यय एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय दोनों समाविष्ट होते हैं। तथापि, मध्य प्रदेश में सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में सामाजिक क्षेत्र व्यय (कुल व्यय के समानुपात के रूप में) निम्नतर रहा है। स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र को भी अपर्याप्त प्राथमिकता दी गयी है। यह पाया गया कि चालू वर्ष के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में व्यय के लघुतर समानुपात का व्यय किया गया था।
- मध्य प्रदेश में, सामान्य वर्ग के राज्यों की तुलना में पूंजीगत व्यय को पर्याप्त प्राथमिकता दी गयी है। वास्तविक पूंजी संघटन को बढ़ी हुई प्राथमिकता स्थायी

परिसम्पत्तियाँ के सृजन द्वारा राज्य के विकास की संभावनाओं में और वृद्धि करेगी।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक, स्वीकार्य आचरण तथा उपयोगी पदार्थों¹⁰ के प्रावधान पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय¹¹ के लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, हाल ही के वर्षों में ऋण सेवा में हास के कारण विशेष रूप से सृजित हो रहे राजकोषीय अंतर की दृष्टि से, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में पूंजीगत व्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के कार्यचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी। तालिका-1.13 बजटीकृत और विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।

तालिका-1.13 : विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग)	18,314 (64)	22,339 (66)	25,999 (68)	32,910 (69)	33,956 (66)	39,741 (69)
क- विकास राजस्व व्यय	12,457 (44)	14,683 (44)	17,577 (46)	21,333 (45)	24,579 (48)	27,430 (48)
ख- विकास पूंजीगत व्यय	5,099 (18)	6,759 (20)	6,588 (17)	7,805 (16)	7,859 (15)	8,621 (15)
ग- विकास ऋण तथा अग्रिम	758 (3)	897 (3)	1,834 (5)	3,772 (8)	1,518 (3)	3,690 (6)

कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशत दर्शाते हैं।
(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


¹⁰ सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अद्योसंरचना आदि।

उपयोगी पदार्थ में वे वस्तुएं आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता हो। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

¹¹ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय में पृथक-पृथक जोर कर किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

तालिका-1.13 2006-11 के दौरान राज्य के कुल व्यय की तुलना में विकास व्यय के संबंध में प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है जो कि 2006-11 के दौरान 64 और 69 प्रतिशत के मध्य सीमा में था। विकास राजस्व व्यय के अंश ने 2007-08 से वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाया। विगत वर्ष की तुलना में विकास ऋण तथा अग्रिम और पूँजीगत व्यय में 2010-11 में क्रमशः दो और एक प्रतिशत तक की कमी आई। विकास ऋण अग्रिम और पूँजीगत व्यय के अंश में कमी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत थी। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान विकास राजस्व व्यय के अंश में वृद्धि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत थी। 2010-11 के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में विकास राजस्व व्यय समान था।

चार्ट-1.10 में 2006-11 के दौरान संघटकवार विकास व्यय प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

तालिका-1.14 में चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किये गये राजस्व व्यय के संघटकों और पूँजीगत व्यय के विवरण दिये गये हैं।

तालिका-1.14: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2009-10			2010-11		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में निम्न का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	कार्यचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	कार्यचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3.54	59.53	0.13	3.17	55.97	0.06
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	4.73	69.63	0.34	5.33	66.67	1.71
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	29.55	25.04	9.95	26.47	22.43	9.38
अन्य सामाजिक सेवाएं	7.19	11.02	0.07	8.51	10.05	0.06
योग (सामाजिक सेवाएं)	8.21	42.87	1.00	8.03	39.78	1.11
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	0.94	45.67	0.27	5.31	39.97	0.23
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	80.85	86.70	7.65	84.89	87.11	5.48
बिजली तथा ऊर्जा	27.34	0.00	0.68	7.40	--	0.66
परिवहन	77.97	46.36	46.19	76.29	45.41	45.13
अन्य आर्थिक सेवाएं	15.91	11.43	0.39	23.69	11.94	0.28
योग (आर्थिक सेवाएं)	35.69	27.74	3.88	34.29	27.73	3.44
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)	23.72	36.93	2.13	21.69	35.35	1.97

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

तालिका-1.14 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के अंश में 2009-10 में 8.21 प्रतिशत से 2010-11 में 8.03 प्रतिशत की कमी आई एवं आर्थिक सेवाओं में 2010-11 से 35.69 प्रतिशत से 34.29 प्रतिशत तक की कमी आई।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्य रूप से शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति तथा जल-आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, आवास और शहरी विकास के अन्तर्गत हुई। जबकि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्य रूप से विद्युत और ऊर्जा तथा परिवहन के अंतर्गत थी।
- राजस्व व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी के अंश में 2009-10 में 36.93 प्रतिशत से 2010-11 में 35.35 प्रतिशत तक की कमी आई। कार्यचालन और संधारण व्यय के मामले में व्यय में 2009-10 में 2.13 प्रतिशत से 2010-11 में 1.97 प्रतिशत तक की कमी आई जो कि मुख्य रूप से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत था।
- इस प्रकार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय के समानुपात में कमी और वेतन एवं मजदूरी और कार्यचालन तथा संधारण पर राजस्व व्यय में भी गिरावट से सेवाओं की गुणवत्ता में हास भी दृष्टिगोचर हुआ।

यह पाया गया कि 2001-10 के दौरान, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में कम थी, जबकि शिक्षा पर सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में यह उच्चतर थी। इसका तात्पर्य है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है (परिशिष्ट-1.1)।

1.9 सरकारी व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (तथा उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाये रखे अपितु अपने पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋण तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के लिये परिवर्तन स्वरूप, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करना चाहिए और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में बजट में उसे वहन करने की अपेक्षा उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने चाहिए और वित्तीय कार्यचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये अपेक्षित उपाय करने चाहिये। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान, किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.9.1 निवेश तथा प्रतिलाभ

सरकार ने 31 मार्च 2011 तक सांविधिक निगमों (23), सरकारी कम्पनियों (34), अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों (23), बैंक (एक) एवं सहकारी बैंकों, समितियों (127) इत्यादि में ₹ 12,216.04 करोड़ का निवेश किया था (तालिका-1.15)। विगत तीन वर्षों में इन निवेशों में औसत प्रतिलाभ 0.47 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2008-2011 के दौरान उधारियों पर ब्याज की औसत दर (7.07 प्रतिशत) पर भुगतान किया।

तालिका-1.15: निवेशों पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों का मूल्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वर्ष के अन्त में निवेश (₹ करोड़ में)	8,161.71	8,844.99	9,643.35	11,686.28	12,216.04
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	14.40	59.23	69.05	49.75	32.20
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.18	0.67	0.72	0.43	0.26
सरकार का उधारियों पर ब्याज की औसत (प्रतिशत)	7.86	7.72	7.24	6.94	7.04
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	7.68	7.05	6.52	6.51	6.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- मार्च 2011 के अन्त तक ₹ 12,216.04 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 1,082.58 करोड़ संयुक्त मध्य प्रदेश से संबंधित थे और उनका बँटवारा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था {सांविधिक निगम (₹ 411 करोड़),

सरकारी कम्पनियां (₹ 187.04 करोड़), सहकारी बैंक और समितियां (₹ 483 करोड़) और संयुक्त पूंजी कम्पनियां (₹ 1.54 करोड़) }
 ➤ इन निवेशों पर 2010-11 में प्रतिलाभ 0.26 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2010-11 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.04 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया।

- 14 सरकारी कंपनियाँ जिनके लेखों को 2010-11 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिये उनका कुल निवेश ₹ 714.74 करोड़ था और घाटे में चल रही थी और उनका कुल घाटा ₹ 2,173.84 करोड़ तक संचित हो गया था (परिशिष्ट-1.9)।

सरकार को बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिये उच्च लागत वाली उधारियों पर और विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने की न केवल आवश्यकता है अपितु इन रूग्ण इकाइयों के कारण हानियों का भी या तो उनके पुनर्गठन और पुनर्वास के द्वारा और/अथवा इन इकाइयों के विनिवेश पर विचार के द्वारा हल करना चाहिए।

1.9.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को ऋण और अग्रिम भी उपलब्ध कराती रही है। तालिका-1.16, 31 मार्च 2011 को बकाया ऋण और अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती हैं।

तालिका - 1.16 : सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों का मूल्य	2008-09	2009-10	2010-11	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	5,823	7,630		11,424
वर्ष के दौरान दी गई राशि	1,861	3,817	1,619	3,715
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	54	23	60	34
अन्त शेष	7,630	11,424		15,105
उनके बकाया शेष जिनकी निबन्धन एवं शर्तें सुलझा ली गई है				
निवल संयोजन	1,807	3,794	1,559	3,681
ब्याज प्राप्तियां	64	1,102	167	21
बकाया ऋण तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.95	11.57		0.16
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	7.24	6.94		7.04
ब्याज भुगतानों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.29	-4.63		6.88

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा 2010-11 के बजट अनुमान)

- 31 मार्च 2011 को कुल बकाया ऋण और अग्रिम ₹ 15,105 करोड़ थे। इन ऋणों से प्राप्त ब्याज ₹ 21 करोड़ था और अग्रिमों की वसूली की तुलना में

विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए ऋण अधिक थे जिसके परिणामस्वरूप बकाया ऋण और अग्रिमों में वृद्धि हुई।

- यह पाया गया कि 31 मार्च 2011 को बकाया ऋण और अग्रिमों (₹ 15,105 करोड़) का 75 प्रतिशत (₹ 11,344 करोड़) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल और उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से संबंधित था और दूसरा 14 प्रतिशत जल-आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, आवास एवं शहरी विकास (₹ 2,043 करोड़), सात प्रतिशत विविध सामान्य सेवाओं (₹ 1,034 करोड़) और दो प्रतिशत कृषि और संबद्ध कार्यकलापों (₹ 366 करोड़) से वसूल किया जाना था।
- ऋण और अग्रिमों पर सरकार द्वारा 2010-11 के दौरान 0.16 प्रतिशत की दर से प्राप्त ब्याज की तुलना में 7.04 प्रतिशत की दर से उधारियों पर भुगतान किया गया औसत ब्याज अधिक था।
- ऋण और अग्रिमों के संवितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत पारेषण एवं वितरण कम्पनियों को ऋण के विषय में थी।
- वर्ष के दौरान ₹ 34 करोड़ के ऋण और अग्रिमों की वसूली, ₹ 60 करोड़ के बजट अनुमानों की तुलना में कम थी जो कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से वसूली नहीं किये जाने के कारण मुख्य रूप से थी। विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूलियों में ₹ 11 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य विविध सेवाओं (₹ चार करोड़) एवं जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और शहरी विकास (₹ पाँच करोड़) के अंतर्गत थी।
- 2010-11 में प्राप्त ब्याज (₹ 21 करोड़), बजट अनुमानों (₹ 167 करोड़) एवं वास्तविक आंकड़ों (₹ 1,102 करोड़ 2009-10 के लिए) की तुलना में, मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं से ब्याज की कम प्राप्ति के कारण कम था।

1.9.3 नकद शेष एवं नकद शेषों का निवेश

तालिका-1.17 वर्ष के दौरान नकद शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं नकद शेषों का चित्रण करती है :

तालिका - 1.17 : नकद शेष तथा नकद शेषों का निवेश

विवरण	(₹ करोड़ में)		
	1 अप्रैल 2010 को	31मार्च 2011 को	वृद्धि(+)/ कमी (-)
नकद शेष	3,912.93	6,900.44	(+)2,987.51
नकद शेषों से निवेश (क से घ)	5,559.72	9,212.17	(+)3,652.45
क. भारत सरकार के कोषालय बिल	5,556.19	9,208.64	(+)3,652.45
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियां	3.53	3.53	--
ग. अन्य प्रतिभूतियां	--	--	--
घ. अन्य निवेश	--	--	--
उद्दिष्ट शेषों से निवेशों का निधि के अनुसार विवरण (क से घ)	379.95	379.06	(-)0.89
क. अकाल राहत निधि	1.13	0.91	(-)0.40
ख. राजस्व आरक्षित निधि	9.41	8.74	(-)0.67
ग. राज्य कृषि साख राहत और गारंटी निधि	0.18	0.17	--
घ. गारंटी मोचन निधि	369.23	369.23	--
वसूल किया गया ब्याज	172.84	263.41	(+)90.57

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- सरकार के नकद शेषों में, विगत वर्ष में ₹ 3,913 करोड़ के स्तर से, वर्ष के अंत में ₹ 2,988 करोड़ (76 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। बड़े निष्क्रिय नकद शेषों को रखना सलाह देने योग्य नहीं है क्योंकि इनको उच्च मूल्य पर उधार लिया जाता है और कम ब्याज वाले कोषालय बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन, मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष रखना आवश्यक है। यदि यह शेष किसी दिन सहमत न्यूनतम शेष से कम हो जाता है तो इस कमी की पूर्ति सामान्य एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों /अधिविकर्षों के द्वारा समय-समय पर लेकर की जाती है। 31 मार्च 2011 को, अर्थोपाय अग्रिमों से संबंधित लेनदेनों के कारण कुछ भी बकाया नहीं था। 2010-11 के दौरान, अदिष्ट शेषों से निवेश में ₹ 89 लाख तक की कमी मुख्य रूप से राजस्व आरक्षित निधियों के अंतर्गत आई।

1.10 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं



1.10.1 परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा रचना

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली स्थाई परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों का निरूपण तो करते हैं। **परिशिष्ट-1.5 भाग-ख** में 31 मार्च 2010 को तदनु रूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2011 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। यद्यपि इस परिशिष्ट में दी गई देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक उधारियां, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां समाविष्ट हैं और परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम तथा नकदी शेष समाविष्ट है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 में 'कुल देयताओं' का वर्णन राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखे के अधीन देयताओं के रूप में किया गया है तथा इसमें राज्य सरकार के जोखिम भारित गारंटी दायित्व सम्मिलित हैं जिनके मूलधन और/अथवा ब्याज की पूर्ति राज्य बजट से की जाती है।

1.10.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **परिशिष्ट-1.4** में दी गई है। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं की रचना को **चार्ट-1.11 एवं 1.12** में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताओं में 2006-07 में ₹ 53,280 करोड़ से 2010-11 में ₹ 75,504 करोड़ तक की वृद्धि हुई। वृद्धि दर में 2009-10 में 12.28 प्रतिशत के विरुद्ध 2010-11 में 11.28 प्रतिशत तक की कमी आई। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान उधारियों में कमी मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्जों के अधीन (₹ 11 करोड़), अन्य संस्थाओं से ऋण (₹ 78 करोड़), प्रतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्रों (₹ 361 करोड़) एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण (₹ 56 करोड़), के अंतर्गत हुई जिसे मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 3,257 करोड़) और राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 1,582 करोड़) के अंतर्गत वृद्धि के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।
- राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं और लोक लेखा देयताएं समाविष्ट है। 31 मार्च 2011 को, समेकित निधि देयताओं (₹ 57,769 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 24,878 करोड़), राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 16,248 करोड़), प्रतिपूर्ति तथा अन्य बंध पत्रों का निर्गमन (₹ 2,134 करोड़), नाबार्ड से ऋण (₹ 2,788 करोड़), भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 10,956 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 765 करोड़)। लोक लेखा देयताओं (₹ 17,735 करोड़) में अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि (₹ 9,220 करोड़), ब्याज प्रभार वाले दायित्व (₹ 321 करोड़) एवं ब्याज प्रभार रहित दायित्व यथा जमा और अन्य उद्दिष्ट निधियां (₹ 8,194 करोड़) सम्मिलित है।
- ये देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 27.79 प्रतिशत थी जो 2010-11 के अन्त में राजस्व प्राप्तियों की 1.5 गुना और राज्य के अपने संसाधनों की 2.78 गुना थीं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विषय में इन देयताओं की उत्प्लावकता में, 2009-10 में 0.79 से वर्ष के दौरान 0.57 तक की कमी आई जो कि मुख्य रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि सहित देयताओं की वृद्धि दर में कमी के कारण थी।

- सरकार ने बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत इत्यादि के कारण देयताओं सहित समस्त ऋणों के परिशोधन के लिये एक निक्षेप-निधि की व्यवस्था नहीं की। सरकार का दृष्टिकोण था कि उस स्थिति के अलावा जहां ऐसा करना बाध्यकर हो, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के परिशोधन के लिए प्रावधान केवल उस राजस्व में से किए जाने चाहिए जहाँ ऐसी परिशोधन व्यवस्थाओं को वित्त प्रदान करने के लिए पर्याप्त राजस्व संसाधन उपलब्ध थे।

राज्य सरकार ने ऐसे किसी ऋणों के परिशोधन के लिए, राजस्व आधिक्य होने के बावजूद भी, व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा।

1.10.3 गारंटियों की स्थिति- आकस्मिक देयताएं

गारंटियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधारगृहीता के द्वारा जिसके लिये गारंटी दी गई है चूक होने की स्थिति में होती हैं।

राज्य द्वारा दी गई गारंटियों के लिए अधिकतम राशियाँ और 2010-11 को समाप्त अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया गारंटियों की राशि **तालिका-1.18** में दी गई है।

तालिका-1.18: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियां	2008-09	2009-10	2010-11	
			बजट अनुमान	वास्तविक
गारंटी की अधिकतम राशि	11,991.33	11,823.20	9,132.79	8,438.50
गारंटियों की बकाया राशि*	1,930.09	1,629.60	4,177.70	5,110.54
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	35.71	28.56	21.02	16.27
निम्नांकित राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुसार मानदण्ड के विरुद्ध वास्तविक आंकड़े (वार्षिक संवृद्धि गारंटियों की मात्रा सीमित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गारंटियां चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हों)	6.29*	4.85*	अनुपलब्ध	12.35*

* **उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है।**

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और विधानसभा में प्रस्तुत विवरण पत्र तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन अनुमान)

- गारंटियों की बकाया राशि आकस्मिक देयताओं की प्रकृति में है, जो 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की 9.86 प्रतिशत थी। राज्य सरकार द्वारा कतिपय देयताओं यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, फर्मों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों के निर्वहन के लिये गारंटियां दी गई थीं।
- सरकार द्वारा दी गई गारंटी की अधिकतम राशि में 2009-10 में ₹ 11,823 करोड़ से 2010-11 में ₹ 8,439 करोड़ (मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अभी भी आवंटन हेतु लंबित ₹ 1,488 करोड़ सहित) तक कमी हुई, जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹ 5,111 करोड़ बकाया थे।
- सरकार ने गारंटी मोचन निधि का गठन किया जिसमें 2010-11 के अन्त तक ₹ 369.23 करोड़ का अन्त शेष था। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

अधिनियम 2005, वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटियों की सीमा निश्चित करने के लिये राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल गारंटियां चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो सके। वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटी, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के अंतर्गत थी।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार, सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि 10 वर्षों के भीतर अर्थात् 31 मार्च 2015 को उस वर्ष के लिए कुल देयताएं अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हों। यह पाया गया कि 29.67 प्रतिशत का यह अनुपात (गारंटीयों की देयताओं सहित) वर्ष 2015 के लिये अधिनियम में निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर था। 13वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि 2014-15 तक राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में, कुल ऋण अनुपात 25 प्रतिशत तक घटाना चाहिए। सरकार को ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को निर्धारित सीमा तक घटाने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये। वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात क्रमशः 29.67 प्रतिशत और 155.47 प्रतिशत था जो क्रमशः 40.70 प्रतिशत एवं 175.61 प्रतिशत के तदनरूपी बजट अनुमान की अपेक्षा भी कम था।

1.11 ऋण धारणीयता

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता¹² का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण¹³; ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁴; उधार ली गई निधियों की निवल

¹² ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

¹³ ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर अथवा सार्वजनिक उधारियों की लागत की तुलना में अधिक होती है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो। दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद विकास दर - ब्याज दर) तथा प्रमात्रा प्रसार (ऋण X दर प्रसार) मानते हुये ऋण धारणीयता स्थिति अभिव्यक्त करती है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक समान होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक हो जाता है तो ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक है तो ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्ततः गिर रहा होगा।

¹⁴ वृद्धि से संबन्धित ब्याज देयताओं तथा वृद्धि से सम्बन्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति के लिये राज्य की वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता महत्वपूर्ण ढंग से सुविधाजनक हो सकती है यदि वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियां वृद्धि से सम्बन्धित ब्याज भार तथा प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर सकें।

उपलब्धता¹⁵; ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की धारणीयता का मूल्यांकन करता है। तालिका-1.19 में 2006-07 से प्रारम्भ, होने वाले पाँच वर्षों के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका - 1.19: ऋण धारणीयता : संकेतक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)	3,890	2,740	3,764	2,117	8,333
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	1,816	(-)29	(-)1,649	(-)1,766	927
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (कोष्ठकों में प्रतिशत)	101 (1)	(-)2,160 (-20)	791 (5)	3,131 (16)	2,606 (13)
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10

1.11.1 ऋण स्थिरीकरण

प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2006-11 के दौरान उसकी राशि निरंतर सकारात्मक थी जिससे यह दृष्टिगोचर हो रहा था कि ऋण स्थिर हो रहे थे।

1.11.2 ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता

2007-08 के दौरान, प्राथमिक व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्तियाँ पर्याप्त थी, जिसमें वर्ष के दौरान तीव्रता से वृद्धि हुई थी परंतु संवृद्धिता ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप सामान्य नकारात्मक संसाधन अन्तराल उत्पन्न हो गया। 2008-10 के दौरान संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त नकारात्मक संसाधन अन्तराल वर्ष के दौरान उत्पन्न हो गया। 2006-07 और 2010-11 के वर्षों के दौरान, ऋणोत्तर प्राप्तियों से न केवल प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकताओं की पूर्ति हुई अपितु संवृद्धिता ब्याज देयताओं को पूरा करने के पश्चात यह परिणाम निकला कि सकारात्मक संसाधन अंतराल निर्मित हुआ जिससे राज्य की अपनी ऋण धारणीयता की बढ़ती हुई क्षमता दृष्टिगोचर हुई।

1.11.3 निधियों की निवल उपलब्धता

➤ ऋण परिशोधन अनुपात में 2006-11 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (परिशिष्ट-1.4)। 2006-08 के दौरान इसमें 0.99 से 1.20

¹⁵ कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियाँ ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

तक की वृद्धि हुई, 2008-10 में 0.95 से 0.84 तक की कमी आई और 2010-11 में 0.87 तक की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, आन्तरिक ऋण परिशोधन, नवीन ऋण प्राप्तियों का 88 प्रतिशत था, भारत सरकार के ऋणों का परिशोधन 110 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों के मामले में, पुनर्भुगतान नवीन प्राप्तियों का 84 प्रतिशत था। इन प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि ऋण प्राप्तियों को मुख्यतः ऋण पुनर्भुगतान के लिये उपयोग किया गया।

- आन्तरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 6,363 करोड़ की प्राप्तियों में से, सरकार ने वर्ष के दौरान 8.41 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ₹ 3,900 करोड़ के बाजार ऋण उठाए, नाबार्ड से ₹ 369 करोड़ और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि ₹ 2,038 करोड़ का ऋण उठाया। सरकार ने भारत सरकार से ₹ 1,095 करोड़ उधार लिये। भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों की प्राप्ति में, 2009-10 में ₹ 1,345 करोड़ से 2010-11 में ₹ 1,095 करोड़ तक की कमी आई जिसका मुख्य कारण 'राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र आयोजनागत योजना के लिए ऋण' के अंतर्गत ब्लॉक ऋणों की प्राप्ति में कमी थी।
- आन्तरिक ऋणों (₹ 5,579 करोड़), भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों (₹ 1,207 करोड़) के पुनर्भुगतान में, ₹ 4,256 करोड़ (63 प्रतिशत) के ब्याज के भुगतान सम्मिलित थे जिससे मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए केवल ₹ 2,530 करोड़ (37 प्रतिशत) उपलब्ध थे। इससे प्रकट हुआ कि पुनर्भुगतान के लिए अधिकांश राशियाँ ब्याज के भुगतान के लिये थीं। 31 मार्च 2011 को सरकार के 24 प्रतिशत विद्यमान बाजार ऋण 10 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर वाले थे।

1.11.4 राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

तालिका - 1.20 : 2009-10 एवं 2010-11 वर्षों के लिये राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्षों में	वित्त लेखे 2009-10				वित्त लेखे 2010-11			
	6003- आन्तरिक ऋण की राशि	6004-ऋण तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	कुल ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत	6003- आन्तरिक ऋण की राशि	6004-ऋण तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	कुल ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत
0-1	1,099.42	516.27	1,615.69	3.06	1,442.43	530.65	1,973.08	3.42
1-3	3,293.24	1,064.44	4,357.68	8.25	4,005.97	1,099.20	5,105.17	8.84
3-5	5,013.71	1,112.10	6,125.81	11.59	5,338.83	1,144.06	6,482.89	11.22
5-7	4,799.48	1,141.27	5,940.75	11.24	5,794.05	1,162.60	6,956.65	12.04
7-9	7,911.45	1,133.99	9,045.44	17.12	11,436.29	1,157.49	12,593.78	21.80
9-11	7,362.20	1,131.08	8,493.28	16.07	5,645.04	1,154.22	6,799.26	11.77
11-13	1,541.20	1,127.80	2,669.00	5.05	1,745.05	1,151.08	2,896.13	5.01
13-15	5,265.85	1,113.39	6,379.24	12.07	1,708.59	375.31	2,083.90	3.61
15 वर्ष और इससे अधिक					4,009.71	261.96	4,271.67	7.39
विविध*	5,687.68	2,919.25	8,213.87	15.54	5,687.68	2919.25	8606.93	14.90
योग	42,461.81	10,378.95	52,840.76		46,813.64	10,955.82	57,769.46	

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी)

* ऋणों की परिपक्वता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतीक्षित है।

ऊपर दर्शाए गए अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 20 प्रतिशत पुनर्भुगतान एक से पाँच वर्षों के दौरान, 46 प्रतिशत, पाँच से 11 वर्षों के मध्य, 16 प्रतिशत 11 वर्षों और अधिक के पश्चात करना होगा। राज्य के ऋणों को लगभग 15 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।


ऋण की पुनर्भुगतान अनुसूची पर स्पष्टता की स्थिति आलोचनात्मक है। राज्य के ऋणों के कारण देयताओं में अनवरत रूप से एक से नौ वर्षों की अवधि के दौरान नौ प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है।

1.12 राजकोषीय असन्तुलन


तीन प्रमुख राजकोषीय पैरामीटर - राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय लाभप्रदता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के मुल्यांकन की तुलना में वित्त वर्ष 2010-11 के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों को प्रस्तुत किया गया है।

1.12.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट-1.13 एवं 1.14 2006-11 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं:



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार)

- जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित किया गया था कि मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात, राज्य ने राजस्व अधिशेष को बनाए रखा जिसमें 2006-07 में ₹ 3,331 करोड़ से 2010-11 में ₹ 6,842 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी सिवाए 2008-09 को जब इसमें ₹ 4,063 करोड़ तक की कमी आई थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष में 2009-10 में 2.42 प्रतिशत से 2010-11 में 2.52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि बजट अनुमान 0.79 प्रतिशत से अधिक थी।
- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की कुल उधारियों और उसके कुल संसाधन अंतर को प्रदर्शित करता है, उसमें 2006-07 में ₹ 2,755 करोड़ से 2009-10 में ₹ 6,199 करोड़ तक की वृद्धि हुई और 2010-11 के दौरान ₹ 5,272 करोड़ तक की कमी आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा अनुपात में 2009-10 में 2.73 प्रतिशत से चालू वर्ष में 1.94 प्रतिशत तक की कमी आई, जो कि बजट अनुमान और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन अनुशंसित मानदण्ड दोनों में निर्धारित चार प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर रही, और 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भी अंदर रही।
- प्राथमिक अधिशेष में 2006-07 में ₹ 1,274 करोड़ से 2007-08 में ₹ 1,407 करोड़ तक की वृद्धि हुई तथा 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान यह प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया।

1.12.2 राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रतिरूप में मिश्रित बदलाव आया है जैसा कि तालिका-1.21 में प्रतिबिम्बित हुआ है।

तालिका - 1.21 : राजकोषीय घाटे के संघटक और उसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजकोषीय घाटे का विघटन						
1	राजस्व अधिशेष	-2,755	-2,784	-4,433	-6,199	-5,272
2	निवल पूंजीगत व्यय	3,331	5,088	4,063	5,498	6,842
3	निवल ऋण तथा अग्रिम	-5,161	-6,822	-6,689	-7,903	-8,433
राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था पद्धति						
1	बाजार उधारियाँ	1,063	1,337	3,957	5016	3,258
2	भारत सरकार से ऋण	-311	102	709	888	577
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,045	128	-126	492	1,582
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	76	128	51	-188	-488
5	आरक्षित निधियाँ	422	-34	12	324	275
6	अल्प बचते, भविष्य निधि आदि	158	193	204	412	773
7	जमा तथा अग्रिम	782	274	237	705	1,678
8	उचन्त तथा विविध	71	-18	-43	10	86
9	प्रेषण	23	57	62	31	519
10	अन्य	8				
11	नकद शेष वृद्धि(+)/कमी (-)	+1,582	-617	+630	+1491	+2,988

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2009-10 की भाँति, राज्य सरकार द्वारा बाजार उधारियों ने राजकोषीय घाटे के एक मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा परंतु राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इसके अंश में 2009-10 में 81 प्रतिशत से 2010-11 में 62 प्रतिशत तक की कमी आई। 2009-10 की तुलना में 2010-11 में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि ऋणों, जमा एवं अग्रिमों, अल्प बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि का अंश राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में उच्चतर था।

1.12.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) में विघटन, राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात यह इंगित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गयी निधियाँ चालू उपभोग के लिये प्रयुक्त की गयी थीं। राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर संकुचित हो रहा था और उधारियों (राजकोषीय देयताओं) के एक भाग हेतु कोई परिसम्पत्तिगत अतिरिक्त सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.22) उस सीमा को इंगित करेगा जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ और जो राज्य की अर्थ व्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिये वांछित हो सकता है।

तालिका - 1.22 : प्राथमिक घाटा/अधिशेष - घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणेतर प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणेतर प्राप्ति	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2006-07	25,732	18,334	5,170	954	24,458	7,398	1,274	21.14
2007-08	30,807	21,410	6,833	1,157	29,400	9,397	1,407	23.24
2008-09	33,656	25,322	6,713	1,862	33,897	8,334	-241	19.80
2009-10	41,443	31,443	7,925	3,820	43,188	10,000	-1,745	18.35
2010-11	52,257	39,963	8,800	3,717	52,480	12,294	-223	16.77

* अन्तर्राज्यीय निपटान सहित

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2006-11 की अवधि के दौरान घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप राज्य के प्राथमिक घाटे अथवा अधिशेष से प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और वितरित किए गए ऋण और अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणेतर प्राप्ति प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत व्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थीं। परंतु अधिशेष ऋणेतर प्राप्ति सम्पूर्ण पूंजीगत व्यय और ऋण तथा अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 2006-07 और 2007-08 को छोड़कर 2006-11 के सम्पूर्ण वर्षों के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ। इससे यह दृष्टिगोचर हुआ कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राथमिक घाटा हुआ।

1.13 निष्कर्ष

राजकोषीय असन्तुलों का प्रबन्धन

- राज्य ने 2006-11 के दौरान राजस्व अधिशेष को लगातार बनाए रखा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के नीचे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में और 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राजकोषीय घाटे को बनाए रखा। प्रमुख राजकोषीय प्राचालों (पैरामीटर्स) - राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा/अधिशेष की दृष्टि से राज्य की राजकोषीय स्थिति पर दृष्टिपात करने से 2010-11 में एक सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत मिला क्योंकि विगत वर्ष की तुलना में राजस्व अधिशेष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटे में तथा प्राथमिक घाटे में कमी आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व अधिशेष में 2009-10 में 2.42 प्रतिशत से 2010-11 में 2.52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि 0.79 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2009-10 में 2.73 प्रतिशत से चालू वर्ष में 1.94 प्रतिशत तक की कमी आई, इस प्रकार बजट अनुमान में तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 दोनों में ही

निर्धारित चार प्रतिशत की उच्चतम सीमा में ही रही तथा 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भीतर भी थी।

- मध्य प्रदेश में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों को मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर पिछले दशक के दौरान सामान्य वर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी।

राजस्व के बकाया

- सात विभागों से संबंधित, 31 मार्च 2011 को राजस्व बकायों की राशि ₹ 877 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 685 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। इसमें वाहनों पर कर संबंधी राजस्व के बकाया को छोड़ दिया गया था क्योंकि संबंधित विभाग द्वारा इसकी जानकारी नहीं भेजी गयी थी (सितम्बर 2011)।

देयताओं का प्रबन्धन

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार इनमें 2014-15 के अंत तक 25 प्रतिशत तक की कमी लाना है। परिणामतः 13वें वित्त आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देयताओं की वृद्धि में रोकथाम के लिए विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- ऋण पुनर्भुगतानों में 2012-14 के दौरान नौ प्रतिशत से लेकर 2018-20 के दौरान 22 प्रतिशत तक की अनवरत वृद्धि होगी। ऋण मुक्ति के लिए निक्षेप निधि के अभाव में तथा ऋण की 15 प्रतिशत की परिपक्वता रूपरेखा की अनुपलब्धता के कारण ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची पर स्पष्टता बनाए रखना विवेचना का विषय है।

निधियों की निवल उपलब्धता

चालू वर्ष के दौरान, आन्तरिक ऋण, भारत सरकार के ऋण एवं अन्य दायित्वों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज नये ऋण प्राप्तियों का 87 प्रतिशत था जिससे परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए बहुत कम निधियां उपलब्ध थी।

व्यय प्रबन्धन

- राज्य के व्यय प्रतिरूप (पैटर्न) से प्रकट हुआ कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2010-11 के दौरान कुल व्यय के 78 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात का अंशदान जारी रहा, जिसके कारण सेवाओं के विस्तार तथा परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये कम संसाधन बचे। इतना ही नहीं, ₹ 45,012 करोड़ के राजस्व व्यय के भीतर, 2010-11 में ₹ 32,101 करोड़ के आयोजनेतर राजस्व व्यय, 13वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष के लिए सामान्य रूप से निर्धारित स्तर (₹ 25,074 करोड़) की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर रहे।

इसके अतिरिक्त, वेतन एवं मजदूरी व्यय, पेन्शन भुगतानों, ब्याज भुगतानों और राज सहायताओं ने वर्ष के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय के लगभग 74 प्रतिशत में अपना योगदान दिया।

- पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वेतन और मजदूरियों तथा संचालन और संधारण पर राजस्व व्यय में गिरावट आयी जो सेवाओं की गुणवत्ता में अवनति को इंगित करता है।
- मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को दी गयी प्राथमिकता, तथापि, 2007-08 और 2010-11 दोनों वर्षों के दौरान पर्याप्त नहीं थी क्योंकि कुल व्यय से उनके अनुपात सामान्य वर्ग के राज्यों के अनुपात की तुलना में कमतर थे। सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

निवेश पर प्रतिलाभ

मार्च 2011 के अंत तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों आदि में किए गए ₹ 12,216 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ केवल 0.26 प्रतिशत था जो कि चालू वर्ष के दौरान 7.04 प्रतिशत की ब्याज दर पर इसकी औसत उधारियों के विरुद्ध था।

1.14 अनुशासण

- कर वसूली उपायों को, 31 मार्च 2011 को ₹ 877 करोड़ की राशि के राजस्व के बकायों की वसूली द्वारा, सुदृढीकरण करने की आवश्यकता थी (कण्डिका 1.6.3)।
- यह प्रवृत्तियाँ इंगित करती हैं कि सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ की नगण्य दरों सहित ऋण और अग्रिमों पर ब्याज की अपर्याप्त वसूली और बढ़ती हुई राजकोषीय देयताएँ राज्य पर मध्यम से लंबी अवधि में राजकोषीय दबाव बना सकती हैं जब तक कि आगामी वर्षों में ऋण और अग्रिमों, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य, आयोजनेतर राजस्व व्यय को कम करने और कर तथा कर-भिन्न दोनों स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने सहित निवेश करने के लिए उपयुक्त उपाय प्रारंभ नहीं किए जाते (कण्डिका 1.10.2, 1.9.1 एवं 1.9.2)।
- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि सामान्य श्रेणी के राज्य, मध्य प्रदेश की तुलना में इन शीर्षों पर कुल व्यय के वृहत्तर समानुपात का व्यय कर रहे हैं (कण्डिका 1.8.1)।
- संघ द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के सीधे अंतरण से इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग की तुच्छ चूक होने का जोखिम रहता है। जब तक कि इन समस्त अभिकरणों द्वारा एक समान लेखाकरण पद्धतियों का

विवेकपूर्ण अनुपालन नहीं किया जाता तथा व्यय का उचित प्रलेखन नहीं किया जाता और समयोचित रिपोर्ट नहीं दी जाती, जब तक निधियों के इन सीधे अंतरणों के अंतिम उपयोग का अनुवीक्षण करना दुष्कर होगा **(कण्डिका 1.5.2)**।

- सरकार से अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। राज्य के वित्त लेखे में सम्मिलित करने के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने की पद्धति राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पुनरीक्षित लागतों के पूर्ण ब्यौरों के साथ-साथ विलम्ब के कारणों सहित अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति में पारदर्शिता समय और लागत बढ़ जाने को टालने में दूर तक सहायक होगी।